

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

लोकसेवकों द्वारा प्रतिवर्ष APAR (Annual Performance Appraisal Report) भरे जाने का प्रावधान है। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि में किये गए कार्य के आधार पर संबंधित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में नियमान्तर्गत टिप्पणी/मूल्यांकन किया जाता है। इस संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र/आदेश प्रसारित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में विभाग के समस्त लोकसेवक(कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य संवर्ग)/प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी अग्रांकित समय-सारणी के अनुसार शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के एपीएआर मॉड्यूल के माध्यम से सत्र 2023-24 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का ऑनलाईन प्रविष्टि का कार्य/टिप्पणी/मूल्यांकन कार्यालय हाजा के परिपत्र 23.11.20, 20.07.21, 16.06.22, 08.12.2023 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.06.08, 30.03.22, 22.04.22 एवं समय-समय पर जारी अद्यतन अनुदेश, परिपत्र में प्रदत्त दिशा-निर्देशों की पालना के साथ की जाये—

क्र. स.	प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, टिप्पणी अंकित करना व प्रेषित करना	प्रेषित करने की अंतिम तिथि(वर्ष 2024)	
		कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कार्मिक एवं अधिकारियों के लिए	विद्यालयों में कार्यरत शैक्षिक संवर्ग के लोकसेवकों के लिए
1	लोकसेवकों द्वारा वाकामू प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	30 अप्रैल तक	01 जूलाई से 31 जुलाई तक
2	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी ग्रेडिंग अंकित करना एवं समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करना	30 मई तक	31 अगस्त तक
3	समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी/ग्रेडिंग अंकित करना एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित करना	30 जून तक	30 सितम्बर तक
4	स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी/ग्रेडिंग अंकित करना एवं संबंधित कार्यालय को संधारण हेतु भिजवाना	31 जुलाई तक	31 अक्टूबर तक

विशेष:- जिला शिक्षा अधिकारी एवं इससे उच्च अधिकारीगण शासकीय निर्देशों के अनुरूप अपनी एपीएआर राजकाज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन करेंगे तथा राजकाज मॉड्यूल में Group Name Sec.Edu_ACR का चयन करेंगे।

(आशीष मोदी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/गोप्र/मॉड्यूल/ई-02341

दिनांक:-यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

RajKaj Ref

63जयपुर

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।

3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. जयपुर को लेख है कि उपरोक्त समय सारणी अनुसार मॉड्यूल कार्य प्रारम्भ करने बाबत।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर/सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा को अपने क्षेत्राधिकार में प्रसारित करने एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
9. समस्त मुख्य जि.शि.अ./समस्त जि.शि.अ. (मुख्यालय)प्रा./मा./समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन हेतु।
10. समस्त प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)।
11. समस्त पीईईओ/प्रधानाचार्य-माध्यमिक शिक्षा।
12. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा को तत्काल प्रकाशनार्थ
13. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. समस्त प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी।
15. शाला दर्पण प्रभारी, जयपुर/कार्यालय हाजा।
16. समस्त ग्रुप/अनुभागाधिकारी, कार्यालय हाजा।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर